कानून निर्माता का कर्तव्य है सर्वोत्तम कानून बनाना लेकिन सांसद और विधायक अपनी शपथ तोड़ रहे हैं। सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए ही 5500 सांसदों-विधायकों पर प्रतिवर्ष 55,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
—अश्विनी उपाध्याय@AshwiniUpadhyay

प. बंगाल : भाजपा विधायक बिष्णु पद रे का निधन

कोलकाता (भाषा)। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी से भाजपा के विधायक बिष्णु पद रे का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे और कुछ समय से फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थे। अधिकारियों ने बताया कि राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे रे को बेचैनी की शिकायत के बाद रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया, 'सोमवार को रे की सर्जरी की गई थी। इसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार भी हुआ, लेकिन रात में हालत फिर बिगड़ गई और मंगलवार तड़के तीन बजे उनका निधन हो गया।' प्रधानमंत्री मोदी ने रे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, 'बिष्णु पद रे जी के निधन के बारे में जानकर दुख पहुंचा। वह एक परिश्रमी विधायक थे, जिन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई प्रयास किए।

RTI से घबरा रहे सियासी दल : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मौखिक टिप्पणी कि एक बिंदु पर सियासी दलों का भय वाजिब लगता है कि आरटीआई उनकी आंतरिक गतिविधियों पर भी नजर रखेगी। चुनाव में अमुक व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप क्यों चुना गया, यह भी पूछा जा सकता है।

- आंतरिक निर्णयों को सार्वजनिक करने का भय सता रहा
- राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायर में लाने का मामला
- एक अगस्त को होगी सुनवाई

अदालत ने कहा, अमुक उम्मीदवार का चयन कैसे किया गया, राजनीतिक दलों को इस पर आपत्ति हो सकती है। चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड, जस्टिस जमशेद पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले का इस्तेमाल शीर्ष अदालत से आदेश लेने के लिए नहीं किया जा सकता। दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही बेंच के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये दलील दी। इन याचिकाओं में राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मेहता ने अदालत से कहा, सीआईसी के आदेश का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने के लिए आदेश (आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सरकार को एक न्यायिक आदेश) मांगने के संदर्भ के तौर पर नहीं किया जा सकता है। माकपा की तरफ से पेश वकील पीवी दिनेश ने कहा, पार्टी को वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संबंध में आरटीआई पर कोई आपत्ति नहीं है। माकपा के वकील ने कहा, लेकिन (आरटीआई के तहत) यह अनुरोध नहीं किया जा सकता है कि किसी उम्मीदवार का चयन क्यों किया गया। न ही किसी पार्टी की निर्णय लेने की आंतरिक प्रक्रिया पर विवरण मांगा जा सकता है।

एक याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा, सीआईसी ने 2013 में एक आदेश पारित किया था कि राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से कर संबंधी छूट और भूमि जैसे लाभ प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मामले को देखने वाले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी दिल्ली से बाहर है जिसके कारण वह उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अदालत ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई एक अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाने के अनुरोध वाली दो जनहित याचिकाओं से चुनावी बांड योजना 2018 को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को अलग कर दिया था। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने से वे जवाबदेह बनेंगे और चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

पबजी के जरिए दोस्ती कर रेप, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई (भाषा)। ऑनलाइन गेम 'पबजी' खेलने के दौरान 33 वर्षीय महिला से दोस्ती कर उसे शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में एक 35 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पबजी खेलने के दौरान दोस्ती के बाद आरोपी और महिला ने बाद में मुंबई में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में साथ में काम करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोपी और महिला 2020 के आखिर में ऑनलाइन मिले थे और बाद में महिला ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करना शुरू किया। शिकायत के अनुसार व्यक्ति ने जनवरी 2023 तक विभिन्न होटलों में कई बार महिला से बलात्कार किया और इसका वीडियो भी बनाया।'

पहचान के लिए अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नामः अज्ञात, पुत्रः अज्ञात, पताः अज्ञात जोकि दिनांक 21.07.2023 को 11:50 बजे राजन बाबू टी.बी. अस्पताल किंग्सवे कैंप, दिल्ली में मृत पाया गया।** इस सन्दर्भ में **DD No. 89 A dated 21.07.2023** पुलिस थाना कोतवाली, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। नीचे अज्ञात मृत व्यक्ति की पहचान दी गई हैः

नामः अज्ञात, उम्रः 30 वर्ष, कदः 5'7'', रंगः सावंला, पहनावाः सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग का पायजामा।

अगर किसी को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।

थाना प्रभारी
पुलिस थाना, कोतवाली, दिल्ली
फोनः 011-23977100, 8750870121

DP/8213/N/2023

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि **1. राशिद @ सुक्खा, पुत्रः सुलेमान, पताः गांव आलमपुर, पुलिस थाना धूज, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, 2. इरफान @ गेदा, पुत्रः दीन मोहम्मद, पताः गांव आलमपुर, पुलिस थाना धूज, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, 3. उमर, पुत्रः नूर मोहम्मद, पताः गांव छांयसा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, 4. छोटू @ इस्लाम, पुत्रः दिलदार, पताः गांव छांयसा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, 5. जुनैद, पुत्रः नसरू, पताः गांव उटावड, जिला पलवल, हरियाणा** ने **Case No. 206/2019, U/s 186/353/332/307/429/34 IPC & 3 PCA Act, पुलिस थाना मायापुरी, दिल्ली** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **1. राशिद @ सुक्खा, 2. इरफान @ गेदा, 3. उमर, 4. छोटू @ इस्लाम, 5. जुनैद** मिल नहीं रहे हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **1. राशिद @ सुक्खा, 2. इरफान @ गेदा, 3. उमर, 4. छोटू @ इस्लाम, 5. जुनैद** फरार हो गए हैं (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **Case No. 206/2019, U/s 186/353/332/307/429/34 IPC & 3 PCA Act, पुलिस थाना मायापुरी, दिल्ली** के अभियुक्त **1. राशिद @ सुक्खा, 2. इरफान @ गेदा, 3. उमर, 4. छोटू @ इस्लाम, 5. जुनैद** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **01.09.2023** या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री पी. भार्गव राव
महानगर दण्डाधिकारी–03
कमरा नं. 292, दूसरी मंजिल
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/8088/WD/2023

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

CUB TRUST AND EXCELLENCE SINCE 1904

ऋण वसूली और प्रबंधन विभाग
प्रशासनिक कार्यालय : नंबर 24–बी, गांधी नगर, कुम्बकोणम – 612 001, **ई–मेल आईडी** : crmd@city@cityunionbank.in, **फोन** : 0435–2432322, **फैक्स** : 0435–2431746

सरफासी ऐक्ट 2002 के तहत निविदा–सह–नीलामी बिक्री सूचना

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में बंधक निम्नलिखित सम्पत्ति/यां कर्जदारों/गारंटरों **क्रमांक 1) मैसर्स मर्करी फुटवियर प्रा. लि. नंबर 2664/2, बीडनपुरा, अजमल खां रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005. क्र. 2) श्री बलदेव आर्य, पुत्र नेम राज आर्य, सी–3, द्वितीय तल, बंधु विहार सीजीएचएस लि., प्लॉट नंबर 11, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075, क्र. 3) श्रीमती सुमन आर्य पत्नी बलदेव आर्य, सी–3, द्वितीय तल, बंधु विहार सीजीएचएस लि., प्लॉट नंबर 11, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075, क्र. 4) मैसर्स दिव्य चिकित्सालय, सी–708, पालम एक्सटेंशन, सेक्टर–7, द्वारका, दिल्ली नगर निगम (यू), दिल्ली–110075** से **14–07–2023** तक बकाया राशि **रू. 44,18,251/– (रूपए चौवालीस लाख अठारह हजार दो सौ इक्यावन मात्र)** दिनांक **15–07–2023** से आगे ब्याज तथा अन्य खर्चों, बैंक के किसी अन्य बकाया की वसूली के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 के तहत निविदा –सह–सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएंगी।

नोट : 1) कि हमारी **244–नई दिल्ली–रोहिणी शाखा** ने आप में क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा निदेशक के रूप में प्रतिनिधित्वकृत क्रमांक 1 के अनुरोध पर वित्तीय सहायता कुल राशि **रू. 15,00,000/–** (सीयूबी ओएसएल स्पेशल–बीआर : 501812080090731) दिनांकित **04–07–2022** भी **16 प्रतिशत** ब्याज दर पर उपलब्ध कराई है, जिसके लिए आप में क्रमांक 2 एवं 3 सह–आबंधक तथा क्रमांक 2 गारंटर हैं। यह भी **02–11–2022** को एनपीए की श्रेणी में सूचीबद्ध किया चुका है तथा इसमें **14–07–2023** तक **रू. 16,54,857/– + 15–07–2023** से वसूली की तिथि तक मासिक अंतरालों पर प्रभारित किया जाने वाला भावी ब्याज और 2.00 प्रतिशत दंड ब्याज की राशि बकाया है।

2) कि हमारी **244–नई दिल्ली–रोहिणी शाखा** ने आप में क्रमांक 2 द्वारा स्वामी के रूप में प्रतिनिधित्वकृत क्रमांक 4 के अनुरोध पर वित्तीय सहायता कुल राशि **रू. 25,66,595/–** (ओडी रिडक्शन : 512120020030921) दिनांकित **04–05–2019** भी **12 प्रतिशत** ब्याज दर पर उपलब्ध कराई है, जिसके लिए आप में क्रमांक 2 सह–आबंधक और क्रमांक 2 एवं 3 गारंटर हैं तथा इसमें **14–07–2023** तक **रू. 29,92,074/–** की राशि बकाया है।

3) कि हमारी **244–नई दिल्ली–रोहिणी शाखा** ने आप मे क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा निदेशक के रूप मे प्रतिनिधित्वकृत क्रमांक 1 के अनुरोध पर वित्तीय सहायता कुल राशि **रू. 2,00,000/–** (सीयूबी ओएसएल स्पेशल–बीआर : 501812080087589) दिनांकित **28–03–2022** भी **12.25 प्रतिशत** ब्याज दर पर उपलब्ध कराई है, जिसके लिए आप मे क्रमांक 2 एवं 3 सह–आबंधक हैं। यह भी **02–11–2022** को एनपीए की श्रेणी मे सूचीबद्ध किया चुका है तथा इसमे **14–07–2023** तक **रू. 2,30,280/– + 15–07–2023** से वसूली की तिथि तक मासिक अंतरालों पर प्रभारित किया जाने वाला भावी ब्याज और **2.00 प्रतिशत** दंड ब्याज की राशि बकाया है।

4) कि हमारी **244–नई दिल्ली–रोहिणी शाखा** ने आप में क्रमांक 2 के अनुरोध पर वित्तीय सहायता कुल राशि **रू. 19,50,000/–** (स्वयं गृह –एसएएल बीआर : 501312030009094) दिनांकित **30–09–2016** भी **11 प्रतिशत** ब्याज दर पर उपलब्ध कराई है, जिसके लिए आप में क्रमांक 3 सह–आबंधक हैं तथा इसमें **14–07–2023** तक **रू. 19,58,164/– + 15–07–2023** से वसूली की तिथि तक मासिक अंतरालों पर प्रभारित किया जाने वाला भावी ब्याज और **2.00 प्रतिशत** दंड ब्याज की राशि बकाया है।

हमारे बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति
(श्री बलदेव आर्य पुत्र नेम राज आर्य तथा श्रीमती सुमन आर्य पत्नी बलदेव आर्य द्वारा स्वाधिकृत सम्पत्ति)

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति फ्लैट नंबर सी–3, द्वितीय तल, छत का अधिकार नहीं, क्षेत्रफल परिमाप 1430 वर्ग फीट, सेक्टर–10, द्वारका, स्थित बंधु विहार सीजीएचएस लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11, द्वारका, नई दिल्ली तथा चौहद्दी निम्नानुसार :– उत्तर – नीचे कालोनी रोड, दक्षिण – उक्त फ्लैट का प्रवेश, पूरब – अन्य फ्लैट नंबर सी–2, पश्चिम – नीचे रोड

सुरक्षित मूल्य : रू. 1,40,00,000/–
(रूपए एक करोड़ चालीस लाख मात्र)

निविदा –सह–सार्वजनिक नीलामी की तिथि	स्थान
01-09-2023	**सिटी सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – रोहिणी शाखा,** सी–9/115, सेक्टर 8, रोहिणी, नई दिल्ली – 110085 फोन नंबर : 011–27941336, मोबाइल नंबर : 9350011173

निविदा–सह–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :

(1) इच्छुक बोलीदाताओ को नीलामी के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए तथा भाग लेना चाहिए और एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह स्वयं अपनी ओर से बोली लगा रहा है। **(2)** इच्छुक बोलीदाता निविदा प्रपत्र **प्रबंधक, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – रोहिणी शाखा, सी–9/115, सेक्टर– 8, रोहिणी, नई दिल्ली– 110085** से प्राप्त कर सकते है। **(3)** इच्छुक बोलीदाताओ को अपनी बोलिया केवल निर्धारित प्रपत्र मे **प्राधिकृत अधिकारी, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड** को सबोधित एक सीलबद लिफाफे मे सुरक्षित मूल्य के **10%** की ईएमडी हेतु **"सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड"** के पक्ष मे आहरित पे ऑर्डर/डिमाड ड्राफ्ट के साथ एतद्द्वारा अधिसूचित निविदा–सह–नीलामी की तिथि को अथवा पूर्व **मध्या. 12.00 बजे** तक प्रस्तुत करनी चाहिए। **(4)** इच्छुक क्रेता सम्पत्ति के निरीक्षण तथा अन्य विवरण के लिए **फोन नंबर : 011–27941336, सेल नंबर : 9350011173** पर सम्पर्क कर सकते है। **(5)** सम्पत्तिया "जैसी है जहा है", "जो है जैसी है", तथा "जो भी है वहा है" आधार पर बेची जाएगी। **(6)** सीलबद निविदाए एतद्द्वारा अधिसूचित निविदा–सह–नीलामी की तिथि को **अप. 01.00 बजे** इच्छुक बोलीदाताओ की उपस्थिति मे खोली जाएगी। यद्यपि साधारणत बिक्री बद निविदाओ द्वारा होगी, तथापि, प्राधिकृत अधिकारी, एकमात्र अपने विवेकानुसार, बद निविदा प्रक्रिया मे प्राप्त निविदा के ज्यादा ऊची बोली लगाने के इच्छुक बोलीदाताओ के मध्य खुली नीलामी सचालित कर सकते है और ऐसी स्थिति मे बिक्री सबसे ऊची बोली लगाने वाले व्यक्ति को की जाएगी। तथापि, बिक्री सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। **(7)** सफल बोलीदाता को बिक्री राशि की **25% राशि (भुगतान की जा चुकी ईएमडी सहित)** बिक्री पूर्ण होने पर **तत्काल** जमा करनी होगी तथा शेष **75%** राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से **15 दिन** के भीतर जमा करनी होगी, जिसमे असफल रहने पर पहले जमा की गई **25%** राशि जब्त कर ली जाएगी। **(8)** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र, बिक्री की पूरी राशि निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त होने के पश्चात, केवल सफल क्रेता के पक्ष मे जारी किया जाएगा। **(9)** सफल क्रेता को हस्तातरण के लिए देय प्रभार/शुल्क, जैसेकि स्टाम्प ड्यूटी, पजीकरण शुल्क इत्यादि, कानून के तहत लागू अनुसार, वहन करने होगे। **(10)** सफल बोलीदाता को कानूनी बकाया राशियो (कानूनी हाउस टैक्स, बिजली प्रभार और अन्य बकाया), टीडीएस, जीएसटी, यदि कोई, का भुगतान करना चाहिए, जो सरकार, सरकारी उपक्रम तथा स्थानीय निकायो को देय है। **(11)** प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोलिया स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान : कुम्बकोणम, तिथि : 24–07–2023 प्राधिकृत अधिकारी

पंजी. कार्यालय : 149, टी.एस.आर (बिग) स्ट्रीट, कुम्बकोणम, तंजावुर जिला, तमिलनाडु – 612 001, **सीआईएन** – L65110TN1904PLC001287
फोन नंबर 0435 – 2402322, **फैक्स** : 0435 – 2431746, **वेबसाइट** : www.cityunionbank.com

दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि.,मोरना (मुजफ्फरनगर)

ई-निविदा सूचना

अनुभवी एवं रजीस्टर्ड ठेकेदारों से इस मिल समिति के व्यायलिंग हाउस (सैन्ट्रीफ्यूगल हाउस) के क्षतिग्रस्त ए.सी. शीट बलदने, धरोहर धनराशि रु. 8000.00 एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 590.00 जी.एस.टी. सहित के कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विस्तृत विवरण www.etender.up.nic.in पर दिनांक 25.07.2023 से देखा जा सकता है तथा नॉन ए.सी. शीट की आपूर्ति हेतु निविदायें दिनांक 02.08.2023 तक आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त कार्य से संबंधित जानकारी सिविल कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अजय कुमार राय (पी.सी.एस.) प्रधान प्रबन्धक

पश्चिम मध्य रेल्वे

इंजीनियरिंग निर्माण शाखा
खुली निविदा (दो पैकेट प्रणाली)

ई-निविदा क्रमांक : डिप्टी सी.ई.सी.1 रीवा-10-2023 दिनांक: 19.07.2023

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)। पश्चिम मध्य रेल, रीवा भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा नोटिस क्रमांक डिप्टी सी.ई.सी 1 रीवा-10/2023, दिनांक: 19.07.2023 के द्वारा आमंत्रित करते है । निविदाएँ बन्द होने की तारीख 16.08.2023 एवं समय 15:00 बजे तक है । निविदाकर्ता अपनी मूल/संशोधित निविदा बंद होने के दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत कर सकते है । उपरोक्त निविदा में हस्त निविदाएं स्वीकार्य नही होंगी तथा हस्त निविदाओ को उपेक्षित कर दिया जाएगा । निविदाए पूर्व उल्लेखित समय एवं दिनांक पर खोली जाएगी । निविदा क्रमांक: डिप्टी सी.ई.सी-1/रीवा-10-2023, दिनांक: 19.07.2023, कार्य का नाम लोकेशन सहित: रीवा-सीधी नई बीजी लाइन रेल परियोजना के रामपुर नैकेन-सीधी खंड में किमी 52 (सीएच. 52000) से किमी 7 (सीएच. 70000) के बीच शेष अर्थवर्क, ब्लैंकेटिंग, आरयूबी, कैनाल एक्स-इंग हयूम पाइप ब्रिज, रिटेनिंग वॉल, साइड ड्रेन आदि सहित छोटे पुलों का निष्पादन । निविदा का अनुमानित मूल्य (रु.) : 383476824.99, निविदा फार्म की (कीमत रुपयें): 0.00, बयाना राशि (रुपये में): 2067400.00, कार्य समापन अवधि (माह): 12 माह मानसून सहित, ई-निविदा बंद होने की और खुलने की तिथि एवं समय: दिनांक 16.08.2023 **को 15:00 बजे बंद एवं 15:00 बजे के बाद खोली जाएगी । निविदाकर्ता अपनी निविदाएं आई.आर.ई.पी.एस के माध्यम से https:// www.ireps.gov.in** पर ऑन लाइन निविदा करें । निविदाकर्ताओं से अनुरोध है, कि वे समय-समय पर बदलाव व शुद्धि पत्रों हेतु IREPS की बेवसाइट **https:// www.ireps.gov.in** देखते रहें । न्यूनतम पात्रता मानदंड टेन्डर फार्म के अनुसार इन निविदाओं के लिए लागु होगा ।

उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, रीवा

कोरोना को हराना है, तो टीका लगवाना है

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा आमंत्रण

मण्डल भंडार कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ कृते भारत के राष्ट्रपति तथा उनकी ओर से ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेत निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री का पूर्ण विवरण तथा नियम एवं शर्ते वेबसाईट **http://www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है।

क्रम सं.–01, निविदा संख्याः **60236072,** खुलने की तिथिः **21-08-2023,** सामग्री का विवरणः सप्लाई इन्स्टालेसन एण्ड कमिशनिंग ऑफ ग्लूटन शियरिंग मशीन। मात्राः 01 अदद, आरक्षित स्त्रोतः कोई नहीं, **क्रम सं.–02,** निविदा संख्याः **60236049,** खुलने की तिथिः **14-08-2023,** सामग्री का विवरणः डिजीटल अल्टरासोनिक डबल रेल टेस्टर विथ 9 प्रोब ऑन इच रेल, मात्राः 03 सेट, आरक्षित स्त्रोतः आरडीएसओ

नोटः उपरोक्त निविदा वेबसाइट ***http://www.ireps.gov.in*** पर अपलोड कर दी गई है। इच्छुक निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि अपना क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर उक्त वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करा ले। ई–टेण्डर के लिये मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये वेबसाइट ***www.ireps.gov.in*** देखें।

वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबन्धक,
मुजाधि/एस–48 लखनऊ

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो० नं० : 09794845955 पर एसएमएस करें।

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी-2, सेक्टर- ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर- 201308 दूरभाष नं.-18003099991

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ऑवंटित औद्योगिक भूखण्ड संख्या-1355 क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर, सैक्टर-32, M/s Navnidhi Metalogs Pvt. Ltd. की डायरेक्टर/शेयरहोल्डर Smt. Anita Jain की मृत्यु के उपरान्त Smt. Nidhi Jain द्वारा उनके 25 प्रतिशत शेयरों/अंशों का हस्तानतरण अपने पक्ष में कराने हेतु म्यूटेशन सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत किये है। अतः इस म्यूटेशन के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 35 दिन के अंदर अपनी लिखित आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज कराने का कष्ट करें, अन्यथा नियमानुसार प्राधिकरण अभिलेखों में Smt. Anita Jain के 25 प्रतिशत शेयरों/ अंशों का हस्तान्तरण Smt. Nidhi Jain के पक्ष में कर दिया जायेगा।

सहायक महाप्रबन्धक (उद्योग)

पहचान की अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम, निवास और परिवार अज्ञात है, जोकि दिनांक 18.07.2023 को शाम 04:58 बजे मकान नंबर 68, गली नं. 9, विद्यापति नगर, प्रेम नगर, दिल्ली के सामने मिला था। इस संबंध में **डीडी संख्या 81ए, दिनांक 18.07.2023, को पुलिस थाना प्रेम नगर, दिल्ली** में दर्ज किया गया है।

इस अज्ञात व्यक्ति का विवरण इस प्रकार है :

लिंग : स्त्री, **उम्र** : लगभग 20 वर्ष, **कद** : 5'0'', **रंग** : गेहुंआ, **पहनावा** : चॉकलेट रंग का फ्रॉक, नंगे पैर।

इस अज्ञात व्यक्ति के बारे में यदी कोई जानकारी मिले तो कृपया एसएचओ/प्रेम नगर, दिल्ली को सूचित करें।

थानाध्यक्ष
पुलिस थाना प्रेम नगर, दिल्ली
फोन नं. : 8750870322

DP/8094/RD/2023 ई–मेल : **sho.premnagar@delhipolice.gov.in**

गुमशुदा की तलाश

रिया

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की (चित्र में दर्शाई गई), जिसका नामः रिया पुत्रीः सतेंदर, निवासीः गली नं–1, मुस्लिम मदरसा नई बस्ती के पास, बांकनेर नरेला, दिल्ली. उम्र 17.5 वर्ष, जो दिनांक 20.07.2023 सुबह 7:30 बजे को अपने घर से गुमशुदा है। इस बाबत FIR No. 520/23, U/s 363 IPC दिनांक 20.07.2023 से थाना नरेला, दिल्ली. में दर्ज है। लड़की का शारीरिक ब्योरा इस प्रकार हैः कदः 4'6'' फीट, रंगः गोरा, चेहराः लंबा, शरीरः माध्यम, पहनावाः नीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग की सलवार व पैरों में काले रंग के जूते पहने हुए। किसी व्यक्ति को इस गुमशुदा लड़की के बारे में कोई भी जानकारी/सूचना मिले तो इसकी सूचना निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें ई–मेलः cic@cbi.gov.nic.in अथवा वेबसाइटः http://cbi.nic.in फोन नम्बरः 011-24368638 or 24368641 पर दें।

थानाध्यक्ष
थाना, नरेला, दिल्ली
फोनः 9315259395, 9868787820

DP/8082/OD/2022

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P. C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **अनस बेग पुत्र अनवर बेग,** निवासी मकान नंबर 1696, गली शयादान, पहाड़ी भोजला, तुर्कमान गेट, और मकान नंबर 3556, कटरा बाबर बेग, लाल कुआँ, दिल्ली-06। ने **FIR.No.86/18 दिनांक. 01.06.2018 U/s 406/498A/34 IPC.,** के अंतर्गत थानाः **चाँदनी महल,** दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **अनस बेग** मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **अनस बेग** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR.No.86/18 दिनांक. 01.06.2018 U/s 406/498A/34 IPC.,** थानाः **चाँदनी महल,** दिल्ली के उक्त अभियुक्त **अनस बेग** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **14.09.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
डॉ. नेहा खेरिया, (Ld, MM),
महिला कोर्ट- 09, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, कमरा नंबर 343, तीस हजारी, दिल्ली

DP/8152/CD/2023

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
A Mini Ratna & Schedule 'A' PSU
CIN: L40101HP1988GOI008409

नायपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन

प्रेस सूचना

ई–निविदा, संख्या पीसीडी-2829 (सिविल)/2023

एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से **"झाकड़ी में टाईप III (08 ब्लॉक) की विशेष मरम्मत और रखरखाव, टाईप सी क्वॉटर और डीपीएस परिसर में मामूली मरम्मत कार्य"** हेतु घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली (डीसीबी) के अन्तर्गत ऑनलाइन बोलियाँ (ई–निविदा) आमंत्रित की जाती हैं। विवरण के लिए कृपया वेबसाइटः **https://etender.sjvn.co.in, www.sjvn.nic.in,** और www.eprocure.gov.in देखें।

बोली दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथिः 15/08/2023 (12:00 बजे)
बोली जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समयः 16/08/2023 (13:00 बजे)
संशोधन, यदि कोई हुए तो केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर जारी किए जाएंगे।

उप महाप्रबंधक, प्रा. एंव सं. विभाग. एनजेएचपीएस,
एसजेवीएन लिमिटेड, झाकड़ी, जिला शिमला हि.प्र.–172201

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P. C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **अश्वनी जसवाल पुत्र जोगेंद्र सिंह,** निवासी मकान नंबर 35/510 न्यू मोती नगर, नई दिल्ली। ने **FIR. No. 856/2016 U/s 498A/406 IPC.,** के अंतर्गत थानाः **राजौरी गार्डन,** दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तरी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **अश्वनी जसवाल** मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **अश्वनी जसवाल** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR. No. 856/2016 U/s 498A/406 IPC.,** थानाः **राजौरी गार्डन,** दिल्ली के उक्त अभियुक्त **अश्वनी जसवाल** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **25.08.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
**आकांशा